न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 96 / 2021 निर्णय दिनांक 14.11.2022

ऑनलाईन नंबर 2021 / 226

सुखाराम पुत्र श्री चुनाराम जाति मेघवाल निवासी–नीलकंठ कॉलोनी, घड़सीसर रोड़, बीकानेर।

–वादी–

बनाम

1. सहीराम पुत्र श्री खुमा राम जाति चमार निवासी सावंतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सूडसर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक वादीगण
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकारराज स्टेट की ओरे से।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने प्रतिवादी से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 21.11.2205 को वाके रोही सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर पूर्व खसरा नंबर 430 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा नंबर 706 तादादी 4.17 हैक्टेयर कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से क्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र कार्यालय उपपंजीयक, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के यहां दिनांक 21.11.2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 209, पृष्ठ संख्या 109, क्रम संख्या 2005002323 पर विधिवत रूप से पंजीबद्ध है। इस प्रकार वादी क्रयशुदा कृषि भूमि का एकमात्र मालिक व काबिज खातेदार काश्तकार है। कृषि भूमि वाके रोही सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर पूर्व खसरा नंबर 430 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा नंबर 706 तादादी 4.17 हैक्टेयर कृषि भूमि का बैयनामा दिनांक 21.11.2005 जो कार्यालय उपपंजीयक, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के यहां दिनांक 21.11.2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 209, पृष्ठ संख्या 109, क्रम संख्या 2005002323 पर विधिवत रूप से पंजीबद्ध है, का राजस्व रिकॉर्ड में वादी के बार–बार आवेदन करने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया गया है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने खातेदारी हक हकूकों की घोषणा जरिये न्यायालय के करवाये। जिसका यह दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। वादग्रस्त कृषि भूमि जो ऊपर के पैरा में अंकित है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में होने के कारण उसका नाजायज फायदा उठाते हुए अपने द्वारा विक्रय की गई कृषि भूमि पर बैंक प्रतिवादी संख्या 2 से ऋण लेकर वादी के हक हकूक की खातेदारी कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा नाम हटाया जावे एवं वादी के नाम खातेदारी हक हकूक की घोषणा की जावे जिसका यह दावा है। इससे पहले वादी 2005 से ही प्रतिवादी सं. 3 को बैयनामा की प्रमाणित कॉपी पेश की गयी है फिर भी वादी का रकबा रहन रख दिया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 2 खसरों में स्थित है। खसरा संख्या 617 तादादी 5.37 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 706 तादादी 4.17 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से होने के कारण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से ऋण लेकर मूर्तहीन [illegible] के कारण वादी को अपनी क्रयशुदा कृषि भूमि को विकसित करने में, उस पर सरकार द्वारा [illegible] मिलने वाले परिलाभ प्राप्त करने में फसल लेने, बोने काटने में [illegible] की स्थिति [illegible] इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय के माध्यम से अपनी क्रयशुदा कृषि भूमि जिसके पूर्व खसरा संख्या 430 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 706 तादादी 4.17 हैक्टेयर कृषि भूमि व उसके [illegible]न का अलग खाता कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.28 14:53:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

करवाना चाहता है। जिसका यह दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। कृषि भूमि वाके रोही सावंतसर वर्तमान खसरा संख्या 706 तादादी 4.17 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने के कारण वादी को पूरी पूरी आशंका है कि प्रतिवादी अपने नाम कृषि भूमि होने का नाजायज फायदा उठाकर रहन बैय मुन्तकिल कर सकता है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अपनी क्रयशुदा कृषि भूमि को महफूज रखने के लिए न्यायालय हाजा के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 को चिर स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द करवाये कि वह वादी की क्रयशुदा कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बैय, मुन्तकिल नहीं करे, किसी अन्य को कब्जा नहीं करवाये, कोई ऐसा कार्य या कार्यवाही नहीं करें जिससे वादी के हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त पर विपरीत असर पड़ता हो। प्रतिवादी दिनांक 27.09.2021 को पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने हेतु गया, तो पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि आपके नाम से कोई कृषि भूमि नहीं है तब वादी ने अपने धारण की कृषि भूमि खसरा संख्या 430 वर्तमान खसरा संख्या 706 की नकल लेने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स`चल रहा है यही तारीख विनाय दावा विनाय मुखास्मत बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी के वादी को प्राप्त हुई है। प्रस्तुत वाद पत्र वादी व प्रतिवादी के मध्य में है। प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान राज्य भूमि धारी होने के कारण प्रस्तुत वाद में एक आवश्यक व अनिवार्य पक्षकार है। इसलिए बतौर प्रतिवादी के पक्षकार संस्थित किया गया है जिसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस वजह से 80(2) सीपीसी के नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद पत्र वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि कृषि भूमि वाके रोही सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर पूर्व खसरा संख्या 430 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 706 तादादी 4.17 हैक्टेयर जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे वादी खातेदार काश्तकार है।

(ख) कि चिर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि कृषि भूमि वाके रोही सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर पूर्व खसरा संख्या 430 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 706 तादादी 4.17 हैक्टेयर से वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से बेजा मदाखलत नहीं करें, काश्त करने फसल काटने आदि में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा रहन, बैय, मुन्तकिल नहीं करे एवं ऐसा कोई कार्य व कार्यवाही नहीं करें जिससे वादी के खातेदारी हक हकूक पर विपरीत असर पड़ता है।

(ग) कि खाता विभाजन की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि कृषि भूमि रोही सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर पूर्व खसरा नम्बर 430 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 706 तादादी 4.17 हैक्टेयर कृषि भूमि व उसके लगान का अलग खाता विभाजन किया जावे एवं रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(घ) यह कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ङ) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के हो जो न्यायहित में हो, जिसे दिलाया जाना माननीय न्यायालय उचित समझे अता फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.28 14:53:57 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बावजूद सम्मन तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी के साक्ष्य PW-1 लिये गये। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

व बहस का मनन किया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 21.11.2005 को रजिस्टर्ड निष्पादित करवाया गया। विक्रय पत्र पर किसी प्रकार का बैंक रहन (धारा 39) का नोट अंकित नहीं है। इससे यह साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को पुराना खेत खसरा नम्बर 430 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 706 तादादी 4.17 हैक्टेयर रोही ग्राम सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ को विक्रय करनें के बाद रहन लिया गया है। संक्षेप में वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

पुराना खेत खसरा नम्बर 430 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 706 तादादी 4.17 हैक्टेयर रोही ग्राम सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है। तथा खाता संख्या नया 469 रोही सांवतसर को विभाजित कर वादी के नाम अलग से राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.28 14:53:57 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

सुखाराम पुत्र श्री चुनाराम जाति मेघवाल निवासी–नीलकंठ कॉलोनी, घड़सीसर रोड़, बीकानेर।

बनाम

1. सहीराम पुत्र श्री खुमा राम जाति चमार निवासी सावंतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबन्धक, बैक ऑफ बड़ौदा शाखा सूडसर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।

मुकदमा नम्बर 82/2022

निर्णय दिनांक: 14.11.2022

दावा बाबत घोष्णा, विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री के.के.पुरोहित अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि पुराना खेत खसरा नम्बर 430 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 706 तादादी 4.17 हैक्टेयर रोही ग्राम सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है। तथा खाता संख्या नया 469 रोही सांवतसर को विभाजित कर वादी के नाम अलग से राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। **तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0.. फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक२२ माह ११ सन् 2022 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		0
योग	100	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.28 14:53:57 IST
Reason: SelfAttested